

न्यायालय ~~नाथव~~ तहसीलदार महवा जिला दौसा (राज.)

मिसल नम्बर 387/18 तारीख रजु 15.2.18 रिपोर्ट पटवारी हल्का 158/1 नाम

श्री शुरेश पुत्र कन्द्या जाति उज निवासी खिकरपुर तहसील 7167

अन्तर्गत धारा 91 राज.भू-अधिनियम 1956

निर्णय:-

दिनांक:- 6.3.18

आज यह पत्रावली बमुकाम महवा हमारे समक्ष पेश हुई पटवारी हल्का की रिपोर्ट है कि उक्त श्री शुरेश ने ग्राम खिकरपुर को भूमि ख.न. 889, 882 रकबा 0.05, 0.10 किस्म कागज फसल - रबि/खरीफ संवत् 2074...
35 कर अतिक्रमण किया है। इस पर अप्रार्थी के विरुद्ध प्रकरण अंतर्गत धारा 91 (3) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 दर्ज किया जाकर नोटिस जारी किया जो बाद तामिल शामिल पत्रावली है। अप्रार्थी उपस्थित आया। उसके द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया उक्त जवाब में उसके द्वारा शपथ पत्र/प्रार्थना पत्र पेश कर अतिक्रमित रकबा को छोड़ने हेतु लिखकर दिया जो संलग्न पत्रावली किया गया है व मुताबिक रिपोर्ट पटवारी अतिक्रमण की पुष्टि होती है प्रकरण नियमन योग्य नहीं है। अतिक्रमी दोषी है।

अतः आदेश है कि अप्रार्थी को अतिक्रमित आराजी ख.न. 889, 882 रकबा 0.05, 0.10 किस्म कागज वाके ग्राम खिकरपुर से बेदखल किया किया जाता है। तथा अप्रार्थी को अतिक्रमित भूमि के वार्षिक लगान का 3.00 रु 50 गुणा 150% शास्ति से दण्डित किया जाता है। तथा इस पर खडी फसल गोहू को निलाम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। भू-अभिलेख निरीक्षक व पटवारी को अप्रार्थी की खडी फसल को नष्ट/नीलाम करने तथा भौतिक रूप से अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने तथा पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश जारी हो। तहसील राजस्व लेखाकार व पटवारी को मांग कायमी वसुली हेतु लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो। नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया

रजिस्टर नं/घ के पृष्ठ नं०... 112 पर
 वर्ष 2017-18 में पटवारी खिकरपुर की शासित भूमि की जमा 150 रु के...
 दिनांक : 12/3/18
 तहसीलदार महवा

माधव
 नाथव तहसीलदार
 महवा (दौसा)